

Form no III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा
श्री मांगीलाल पुत्र भागचंद जी गायरी बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा.
किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 36 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम
	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं परोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहसा में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा लसड़ावन पटवार हल्का लसड़ावन तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 502 की आराजी नंबर 1390 रकबा 0.6700 हैक्टयेर, आराजी नंबर 1391 रकबा 0.0500 हैक्टयेर, आराजी नंबर 487 रकबा 0.0100 हैक्टयेर, आराजी नंबर 488 रकबा 0.1500 हैक्टयेर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.8800 हैक्टयेर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगद्दी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगद्दी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थरगद्दी हुक्मनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	No-objection 8

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

